उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र,
14, सी.एस.पी. सिहं मार्ग, प्रयागराज
फोन नं0 0532-2421855
e-mail: nczcc@rediffmail.com website: www.nczcc.in

<u>निविदा सूचना</u>

उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आवश्यक अस्थायी टेंटेज, फर्नीचर किराये पर केन्द्र परिसर के अन्दर एवं शहर के अन्य हिस्सों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों हेतु आपूर्ति किये जाने अथवा लगाने हेतु अनुभवी पंजीकृत फर्मों से ऑनलाइन निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र की वेबसाइड **www.nczcc.in** से भी डाउनलोड की जा सकती है। निविदा शुल्क रु. 500/- जमा करना अनिवार्य होगा। शुल्क निदेशक उ.म.क्षे.सां.केन्द्र के नाम ड्राफ्ट के रूप में अथवा ऑनलाइन जमा करना होगा। निविदा दिनांक 25.11.2024 को अपराह्न 02:00 बजे तक ऑनलाइन सबमिट/अपलोड करना होगा। प्राप्त सभी निविदायें अपराह्न 04:00 बजे 25.11.2024 को ऑनलाइन खोली जायेगी।

क्र. सं.	कार्य का विवरण	कार्य की अवधि	निविदा डाउनलोड करने की तिथि एवं समय	निविदा अपलोड करने की तिथि एवं समय	निविदा खोलने का समय
1.	टेंटेज आपूर्ति	कार्य आवंटन की तिथि से एक वर्ष तक	निविदा आमंत्रण की तारीख से 24.11.2024 को अपराह्न 05:00 बजे तक	25.11.2024 को अपराह्न 02:00 बजे	25.11.2024 को अपराह्न 04:00 बजे

निदेशक

निविदा की शर्तें

1. दरें प्रत्येक मद, प्रति संख्या, प्रति इकाई आर.एफ.टी., एस.एफ.टी. 15 दिन के लिए देनी होंगी। निविदादाता के द्वारा दरें व इकाई आइटम के समक्ष स्पष्ट रूप से अंकित करनी होंगी। निविदा दाता के द्वारा दी गयी दरें टैक्स सहित (inclusive of all taxes) होगी।
2. निविदादाता की कोई भी शर्त अलग से केन्द्र को मान्य नहीं होगी।
3. निदेशक, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र को स्वीकृत दरों पर कार्य को दो या दो से अधिक ठेकेदारों के बीच बांटने का अधिकार होगा।
4. फर्म के द्वारा जिन कार्यों के लिए निविदा भरी जा रही है, फर्म को उस क्षेत्र में कार्य का विगत तीन वर्ष का अनुभव प्रमाण-पत्र तथा संस्थानों द्वारा पिछले तीन वर्षों में दिये गये कार्यादेशों के प्रति संलग्न करनी होगी।
5. सामानों को कार्य स्थल तक ले आने तथा ले जाने, एवं निर्देशित स्थान पर लगाने का व्यय, सामानों के बदलने एवं पुनः लगाने का व्यय दरों में ही सम्मिलित होगा।
6. सामानों की आपूर्ति केन्द्र परिसर एवं प्रयागराज नगर परिक्षेत्र में की जायेगी। दी गयी दरों में सामानों की आपूर्ति/लगाने का व्यय भी सम्मिलित होगा।
7. सामानों की आपूर्ति में Act of God जैसे दंगा, अग्निकांड, वर्षा आदि से भी हुई क्षति उक्त प्रतिपूर्ति में शामिल नहीं होगी। कार्यस्थल पर किन्हीं कारणों से यदि कार्यक्रम पहले समाप्त हो जाता है तो वास्तविक उपयोग अवधि का भुगतान किया जायेगा।
8. आपूर्ति किये जाने वाले सामानों की मात्रा आवश्यकता के अनुसार कम या अधिक हो सकती है। ठेकेदार को केन्द्र की आवश्यकतानुसार सामानों की आपूर्ति कार्य स्थल पर करनी होगी। वास्तविक उपयोग की मात्रा का सत्यापन समिति के माध्यम से कराया जायेगा।
9. कार्यक्रमों के दौरान जिन सामानों की आवश्यकता हो सकती है उनकी दरें आमंत्रित कर ली गयी हैं, परन्तु ठेकेदार को सामानों की आपूर्ति केन्द्र की आवश्यकतानुसार करनी होगी।
10. निर्धारित समय पर ठेकेदार द्वारा सामानों की आपूर्ति न किये जानें पर अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में निदेशक का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
11. कार्यस्थल पर उपयोग किये जाने वाले सामानों के रख रखाव की जिम्मेदारी ठेकेदार की स्वयं की होगी। टूट-फूट के लिये या उपयोग के दौरान किसी सामान के खराब होने के कारण किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति केन्द्र द्वारा देय नहीं होगी।
12. कार्यस्थल पर ठेकेदार द्वारा जिन सामानों (तम्बू, कनात, टीन निर्माण आदि) की आपूर्ति की जायेगी, उनके संतोषजनक एवं आकार माप में ठीक न होने पर बदलने का

दायित्व ठेकेदार का स्वयं का होगा। इसमें निदेशक या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

13. आपूर्ति की गयी सभी सामग्रियां उपयोग करने योग्य, साफ-सुथरी एवं बिना पैबन्द के होनी चाहिए। कार्यस्थल पर गंदा एवं खराब सामान स्वीकार नहीं किया जायेगा। गुणवत्ता संतोषजनक न होने पर ठेकेदार के अन्तिम भुगतान से कटौती कर ली जायेगी।
14. सामान्यतया सामानों की आपूर्ति के लिए ठेकेदार को पर्याप्त समय दिया जायेगा। परन्तु आकस्मिक मांग होने पर सामानों की आपूर्ति तदानुसार करनी होगी।
15. सम्पूर्ण निर्माण कार्य एवं सामानों की आपूर्ति कार्यक्रम शुरू होने के एक दिन पूर्व अधिकृत अधिकारी के निर्देशानुसार पूर्ण करनी होगी।
16. यदि आपूर्ति की गयी सामग्री समय से नहीं दी गयी या खराब, अनुपयोगी सामग्री की आपूर्ति की गयी तब वह सभी सामग्रियॉ वापस कर दी जायेंगी तथा इसकी आपूर्ति का प्रबन्ध अन्य एजेन्सी से किया जायेगा एवं इसके लिए किराये पर होने वाले व्यय के अतिरिक्त 15 प्रतिशत धनराशि दण्ड स्वरूप ठेकेदार से वसूल की जायेगी तथा उसकी जमानत राशि जब्त करते हुये अनुबन्ध समाप्त कर दिया जायेगा।
17. यदि किसी समय पर यह पाया जाता है कि भुगतान अधिक हो गया है तो ठेकेदार की जमानत राशि/लम्बित भुगतान से इसकी वसूली कर ली जायेगी।
18. निविदादाता को स्पष्ट रूप से अपनी दरों को शब्दों एवं अंकों में इंगित करना होगा यदि शब्दों एवं अंकों में अन्तर पाया जाता है तो दोनों में जो कम होगा उसी को सही माना जायेगा। जिस सामग्री की दर नहीं अंकित की गयी उसके आगे निरंक लिख दिया जाय।
19. कोई भी निविदा बिना धरोहर धनराशि (Earnest Money Deposite/Bid Security) रू0 20,000/- (रूपये बीस हजार मात्र) के स्वीकार नहीं की जायेगी। निविदादाता द्वारा उक्त धनराशि निदेशक, उ.म.क्षे.सां.केन्द्र के पक्ष में डी.डी. अथवा ऑनलाइन जमा करनी होगी तथा डी.डी. की फोटो कॉपी अथवा ऑनलाइन माध्यम द्वारा जमा की गयी धनराशि का UTR No./Transaction Details निविदा के साथ अपलोड करना होगा।
20. जिस निविदादाता की निविदा स्वीकार की जायेगी उसे तीन दिनों के अन्दर रू0 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र) की जमानत राशि केन्द्र के पक्ष में जमा करनी होगी अन्यथा धरोहर राशि (Earnest Money Deposite/Bid Security) जब्त कर ली जायेगी।
21. स्वीकार की गयी निविदा की दरें निविदा खुलने की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होंगी।

22. निदेशक, उ.म.क्षे.सां.केन्द्र को यह विशेषाधिकार होगा कि वह बिना किसी कारण बताये किसी एक निविदा को या सभी निविदाओं को निरस्त कर दें अथवा केन्द्र के हित में किसी एक निविदा को आंशिक या पूर्ण रूप में स्वीकार कर लें। इस सम्बन्ध में निदेशक का निर्णय अन्तिम एवं सभी को मान्य होगा।
23. कार्यस्थल पर निर्माण की माप-जोख (भौतिक सत्यापन) केन्द्र अधिकृत अधिकारी द्वारा पूर्ण किये जाने तक ठेकेदार निर्माण कार्य न तो हटायेगा और न ही इसमें परिवर्तन करेगा।
24. उ.म.क्षे.सां. केन्द्र ठेकेदार को किसी भी प्रकार का परमिट/लाइसेन्स दिलाने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
25. उ.म.क्षे.सां. केन्द्र किसी भी प्रकार का ट्रक, वैगन, लारी आदि के प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ठेकेदार को सामानों की आपूर्ति हेतु स्वयं ही परिवहन की व्यवस्था करनी होगी, यदि कोई कर देय है तो वह ठेकेदार द्वारा ही देय होगा।
26. स्त्रोत पर कर-कटौती लागू नियमों के अनुसार भुगतान के समय केन्द्र द्वारा की जायेगी।
27. निविदादाता निविदा प्रपत्र के साथ अपनी फर्म का पैन, जी.एस.टी. पंजीकरण प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन जमा करें अन्यथा निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी।
28. यदि किसी निविदादाता की अग्रिम धनराशि/जमानत राशि किसी अन्य टेण्डर के विरूद्ध केन्द्र में जमा है तो उस राशि का प्रयोग इस निविदा के माध्यम से नहीं किया जा सकेगा।
29. नियम, शर्तें एवं दरों के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर आवश्यक होंगे। ऐसा न पाये जाने पर निविदा निरस्त की जा सकती है। इस हस्ताक्षर का मतलब है कि निविदाकर्ता ने सारे नियम/शर्तें पढ़ कर समझ ली हैं और वह उनसे पूर्णतया सहमत हैं।
30. निविदा दाता का प्रयागराज क्षेत्र में ऑफिस/सब-ऑफिस होना अनिवार्य है। ऑफिस/सब-ऑफिस का पूर्ण पता फोन नम्बर सहित निविदा के साथ देना होगा तथा ऑफिस/सब-ऑफिस का एड्रेस प्रूफ भी देना होगा। जैसे- रेन्ट एग्रीमेन्ट का कॉपी, इत्यादि।
31. निविदादाता का कम से कम Turnover consistently विगत तीन वर्षों में रु. 50,00,000.00 (प्रत्येक वर्ष में) का होना अनिवार्य है, जिसके साक्ष्य हेतु CA द्वारा प्रमाणित Turnover Certificate भी अपलोड करना होगा।

<u>घोषणा</u>

मैं/हम......................पुत्र श्री ....फर्म ....

पता...यह घोषणा करते हैं कि उपरोक्त सभी नियम एवं शर्तें पढ़ और समझ ली है। मैं/हम..पालन करने का वचन देता हूँ/देते हैं।

दिनांकः-

निविदादाता के हस्ताक्षर

फर्म का नाम व पता

मो0नं0-

पिन नं0-

पैनकार्ड नं0-

टैक्स नं0-